सेवा में ,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदया,

निवेदन इस प्रकार है कि सूचना अधिकार सम्बन्धी श्री हर्ष रतूडी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के आवेदन पत्र की प्राप्ति मेरे द्वारा की गई एवं आवेदन पत्र को मेरे द्वारा मूल में सम्बन्धित पटल सहायक श्री दीपक सेमवाल कनिष्ठ सहायक को उपलब्ध करवाया गया था। क्योकि मूल में कार्यालय में कोई डाक पंजीका नही है जिसमें व्यक्तिगत रूप से डाक प्राप्ति कि जाए इसलिए मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित पटल सहायक श्री दीपक सेमवाल कनिष्ठ सहायक को उपलब्ध करवाया गया था। श्री सेमवाल के द्वारा ही उक्त प्रकरण को लोक सूचना अधिकारी के सम्मुख निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जाना था।

महोदया कार्यालय आदेष संख्या–1798/XXV-66(1–5)/2009 दिनांक 2 दिसम्बर,2014 के अनुपालन में अवगत कराना है कि श्री हर्ष रतूडी के सूचना के अधिकार सम्बन्धी प्रकरण का निस्तारण कार्यालय के पटल सहायक श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक के द्वारा किया जाना था।

महोदया कार्यालय के एक जिम्मेदार कार्मिक के रूप में मेरे द्वारा उक्त आवेदन पत्र को डाक विभाग के माध्यम से पंजीकृत लिफाफे की प्राप्ति की गई थी। तदोप्रान्त मेरे द्वारा उक्त आवेदन को श्री दीपक सेमवाल, सम्बन्धित पटल सहायक को उपलब्ध करा दी गई थी।

प्रथी:–

(हिमांशु नेगी)
कनिष्ठ सहायक,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदया,

निवेदन इस प्रकार से है कि सूचना अधिकार सम्बन्धी श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के आवेदन पत्र के स्पीड पोस्ट लिफाफे **संख्या–EVS507799116IN की प्राप्ति मेरे द्वारा की गई और उसी समय आवेदन पत्र को मेरे द्वारा मूल में सम्बन्धित पटल सहायक श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक को उपलब्ध करवाया गया था। श्री सेमवाल के द्वारा ही उक्त प्रकरण को लोक सूचना अधिकारी के सम्मुख निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जाना था।**

महोदया कार्यालय के एक जिम्मेदार कार्मिक के रूप में मेरे द्वारा उक्त आवेदन पत्र को डाक विभाग के माध्यम से पंजीकृत लिफाफे की प्राप्ति की गई थी। तदोपरान्त मेरे द्वारा उसी समय उक्त आवेदन–पत्र को श्री दीपक सेमवाल, सम्बन्धित पटल सहायक को उपलब्ध करा दी गई थी।

महोदया कार्यालय आदेश संख्या–1798/XXV-66(1–5)/2009 दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 के अनुपालन में तद्नुसार स्पष्टीकरण महोदया की सेवा में सादर प्रस्तुत है ।

प्रार्थीः–

B. S. Rawat
18-12-2014

(बसन्त सिंह रावत)
प्रवर सहायक,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या– 1850 /XXV– 12 (P-IV)/ 2008 देहरादून : दिनांक 19 दिसम्बर, 2014

URGENT-IMPORTANT

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन,
मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर
देहरादून।

विषयः– **अपील संख्या–A(D).16123/2014 श्री हर्ष रतूड़ी बनाम लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड में मा0 आयोग को आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1439 दिनांक 04.12.2014 के साथ प्राप्त अपील संख्या– A(D).16123/2014 श्री हर्ष रतूड़ी बनाम लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड पर पारित मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, के आदेश दिनांक 03.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि मा0 सूचना आयोग के आदेशानुपालन में श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक एवं श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। जिसमें उक्त दोनों कार्मिकों के द्वारा सूचना अधिकारी सम्बन्धी उक्त आवेदन पत्र एवं प्रथम अपील प्रार्थना पत्र संबंधित पटल सहायक श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक को उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है।

3– यह भी अवगत कराना है कि श्री बसंत सिंह रावत दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 से 17 दिसम्बर, 2014 तक उपार्जित अवकाश पर होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2014 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों कार्मिकों के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के क्रम में अब तीनों कार्मिकों के संयुक्त रूप से बयान लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है और तीनों कार्मिकों से बयान प्राप्त करने के उपरान्त एक सप्ताह अन्दर दोषी कार्मिक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या से मा. आयोग को अवगत करा दिया जायेगा।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
04 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1858 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 20 दिसम्बर, 2014
Speed-post

सेवा में,

श्री हर्ष रतूड़ी,
130/77 कालीदास मार्ग,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 सूचना आयोग में अपील संख्या A(D).16123 /2014 पर दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को सुनवाई के दौरान मा0 आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध करा जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु संख्या 01 में चाही गयी सूचना के संबं में अवगत कराना है कि आपके शिकायती पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2014 को इस कार्यालय के प संख्या 1515 दिनांक 05 अगस्त, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून/पौ गढ़वाल को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि संल प्रेषित है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागी अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1858/XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– 1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रोड़, लाडपुर, देहरादून को अपील संख्या A(D).16123 /2014 की सुनवाई दिनांक 19 दिसम्बर, 2 में निर्गत निर्दशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून/पौड़ी गढ़वाल को इस कार्यालय के पत्र सं 1515 दिनांक 05 अगस्त, 2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त पर की कार्यवाही से तत्काल शिकायतकर्ता एवं मु0नि0अ0 कार्या0 को अवगत कराने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
लोक सूचना अधिक

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

संख्या 1875 / XXV–12 (1–4) / 2008

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

देहरादून : दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

–: कार्यालय आदेश :–

सूचना अधिकार सम्बन्धी श्री हर्ष रतूड़ी, 130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून के प्रकरण पर मा0 आयोग द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में, जिसमें मा0 आयोग द्वारा श्री हर्ष रतूड़ी के सूचना अधिकार संबंधी आवेदन पत्र की प्राप्ति श्री बंसत सिंह रावत, प्रवर सहायक, एवं श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त करने की पुष्टि डाक विभाग के अभिलेखों से हो चुकी है, किन्तु सूचना अधिकार सम्बन्धी आवेदन पत्र को निस्तारण हेतु श्री रावत एवं श्री नगी एवं श्री सेमवाल द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उक्त आवेदन का समय पर निस्तारण नहीं हो सका।

2. उक्त प्रकरण पर कार्यालय आदेश संख्या–1798 दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 के द्वारा श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक एवं श्री हिमांशु नगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का स्पष्टीकरण लिया गया था और दोनो कार्मिकों के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए। दोनो स्पष्टीकरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनो कार्मिकों के द्वारा श्री दीपक सेमवाल, सम्बन्धित पटल सहायक को सूचना अधिकार सम्बन्धी आवेदन पत्र / प्रथम अपील प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराए गए।

3. **सूचना अधिकार सम्बन्धी कार्यों के प्रति लापरवाही, शिथिलता और उदासीनता के दृष्टिगत श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ट सहायक की वर्ष 2015–16 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में विशेष प्रतिकूल प्रतिष्टि अंकित की जाय।**

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

पृ0संख्या 1875 / XXV–12(1–4) / 2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– 1. सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून को अपील संख्या–A(D)-16123/2014 में पारित मा0 मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह तद्नुसार उक्त कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करना सुनिश्चित करें।

3. श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

4. लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 1884 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 27 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या– 1850 दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण पर कार्यालय आदेश संख्या– 1798 दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 के द्वारा श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक एवं श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ट सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का स्पष्टीकरण लिया गया था और दोनो कार्मिकों के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये। दोनो स्पष्टीकरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनो कार्मिकों के द्वारा श्री दीपक सेमवाल, सम्बन्धित पटल सहायक को सूचना अधिकार संबंधी आवेदन पत्र/प्रथम अपील प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराये गये। सूचना अधिकार सम्बन्धी कार्यों के प्रति लापरवाही, शिथिलता और उदासीनता के दृष्टिगत श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ट सहायक की वर्ष 2015–16 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने हेतु कार्यालय आदेश संख्या– 1875 दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 (प्रति संलग्न) के द्वारा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं।

उक्तानुसार अनुपालन आख्या से मा0 सूचना आयोग को अवगत कराते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Aoic

प्रपत्र संख्या–43ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 448 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक का नाम व शाखा: भारतीय स्टेट बैंक, ~~मुख्य शाखा~~ देहरादून साइबर ट्रेजरी

1. जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम (तथा पदनाम, यदि आवश्यक हो): मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी।
2. पता: कार्यालय:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तरी ब्लाक, कक्ष -15 सचिवालय परिसर देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो): 1:- मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है): अपील संख्या A(d) 1605/2014 दि० 19.11-2014 एवं अपील संख्या - A(HR 1619/2014 दिनांक 22/12/2014 के अनुपालन में शास्ति जमा @5000+5000=10,000
5. चालान की सकल (Gross) राशि Rs. रु. 10,000=00
6. चालान की निबल (Net) राशि Rs. रु. ₹ दस हजार मात्र
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मोहर

8. लेखा–शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु–शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार–शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0070	60	800	06	00	10,000=00
					xx
					xx
योग					10,000=00

0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं
60 - अन्य सेवाएं
800 - अन्य प्राप्तियाँ
06 - अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ

धनराशि (शब्दों में) ₹ दस हजार मात्र

उपकोषाधिकारी
कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारीके हस्ताक्षर मुहर सहित

(मस्तू दास)
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

पंजीकृत

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष:0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैबः http://uic.gov.in

पत्रांक :15378/(अपील संख्या : A(HR) – 16169/2014/ दिनांक 31.12.2014

1. लोक सूचना अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला हरिद्वार।
2. लोक सूचना अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

अपील संख्या : **A(HR) – 16169/2014 : श्री भगवती प्रसाद गोयल** बनाम **लोक सूचना अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला हरिद्वार** व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 22/12/2014 के आदेश की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि।

31/12/14

सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :

अपीलकर्ता : श्री भगवती प्रसाद गोयल, वरिष्ठ पत्रकार, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास कालोनी, हरिद्वार।

संलग्न : यथोपरि।

सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : **16169 / 2014**

अपीलकर्ता : श्री भगवती प्रसाद गोयल वरिष्ठ पत्रकार, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास कालोनी हरिद्वार, उत्तरखण्ड।

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड़।
2. लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय,उत्तराखण्ड़, देहरादून।
3. प्रथम अपीलीय अधिकारी / संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड शासन, देहरादून।

आदेश

यह अपील श्री भगवती प्रसाद गोयल के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के विरूद्ध की गयी है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि उनके अनुरोध पत्र दिनांक 16.04.2014 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी है। ।

2. अपील पर सुनवाई हेतु आयोग द्वारा दिनांक 24.11.2014 को उभय पक्षों को नोटिस प्रेषित किया गया था। अपीलकर्ता के द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 16.04.2014 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड से 4 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी, जो उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकरी को संबोधित शिकायती पत्र (डाक रसीद संख्या EU 347850927 IN दिनांक 28.01.2012) पर की गयी कार्यवाही के संबंध में है। लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इस पर कोई सूचना नहीं दी गयी है, जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.06.2014 को विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय, देहरादून को प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी।

3. आयोग के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को नोटिस प्रेषित किया गया, जबकि अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी,कार्यालय, देहरादून को प्रेषित किया गया था। लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड द्वारा उक्त अनुरोध पत्र को लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित नहीं किया गया और न ही सूचना अपने स्तर से दी गयी। अतः सुनवाई की तिथि दिनांक 03.12.2014 को आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को अपील में पक्षकार बनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही की जाए तथा अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति की जाए।

4. आयोग द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 10 दिन का समय देते हुए निर्देशित किया गया कि डाक विभाग से यह ज्ञात करायें कि क्या अपीलकर्ता के द्वारा प्रेषित प्रथम अपील दिनांक 02.06.2014 उनके कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त की गयी थी अथवा नहीं तथा यदि अपील उनके कार्यालय में प्राप्त की गयी हो तो दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही कर आयोग के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।

5. आज सुनवाई के समय अपीलकर्ता उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तु दास उपस्थित हैं, उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि अपीलकर्ता श्री भगवती प्रसाद गोयल, द्वारा अपना शिकायती पत्र दिनांक 27 जनवरी 2014 जिसे उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से अन्य संलग्नकों सहित माह जून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, को कार्यालय पत्र संख्या – 1274 दिनांक 20 जून, 2014 के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित किया गया । त्रुटिवश इसी संदर्भित पत्र के साथ श्री भगवती प्रसाद गोयल का सूचना अधिकार संम्बन्धी प्रार्थना पत्र भी संलग्न कर जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार को प्रेषित किया गया जिसकी पुष्टि दिनांक 03.12.2014 को आयोग में उक्त अपील की सुनवाई के दौरान उपस्थित सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी की गयी ।

6. आयोग के द्वारा उपरोक्त पत्र जो प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से प्रेषित किया गया है का अवलोकन किया गया है। उक्त पत्र में ***"संलग्न यथोपरि"*** अंकित है तथा श्री भगवती प्रसाद गोयल, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता , शिव निवास विकास कालोनी, हरिद्वार पर दिनांक 27.01.2014 के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है परंतु उसके साथ लोक सूचना अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को श्री भगवती प्रसाद द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र दिनांक 16.04.2014 को भी संलग्न कर प्रेषित किया गया है। इस प्रकार अनुभाग अधिकारी श्री मस्तु दास जो कि लोक सूचना अधिकारी भी हैं के द्वारा लापरवाही के साथ अनुरोध पत्र को भी शिकायती पत्र के साथ प्रेषित कर दिया गया है, जो कि नितांत ही आपत्ति जनक है तथा उनका इस संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। अतः श्री मस्तु दास, लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए गये कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.12.2014 की पुष्टि की जाती है तथा उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शास्ति की धनराशि को मस्तु दास के आगामी 2 माहों के वेतन से 2 समान किस्तों में वसूल कर धनराशि को सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड के राजस्व खाते, में जमा करायें तथा प्रत्येक माह आयोग को अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति कोषाधिकारी, देहरादून को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

7. आयोग के द्वारा अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत श्री मस्तु दास अनुभाग अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति नहीं की जा रही है परंतु उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किये जाने वाले उनके कार्यों में इस प्रकार शिथिलता, लापरवाही तथा अनियमितता भविष्य में बरती जाने पर उनके विरूद्ध आयोग को विभागीय कार्य करने की संस्तुति करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

8. विभागीय अपीलीय अधिकारी श्रीमती सौजन्या, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 22.12.2014 आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि अपीलकर्ता के द्वारा रजिस्ट्री पत्र संख्या RV 590012158 IN के द्वारा अपील प्रस्तुत किया जाना बताया गया है, जबकि 17 दिसंबर 2014 के माध्यम से उक्त के स्थान पर रजिस्ट्री पत्र संख्या RV 590011158 IN हो सकता है। रजिस्ट्री

संख्या में त्रुटि होने के बावजूद यह पत्र यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय में डाक विभाग के द्वारा प्राप्त कराया गया है, तो वह अपीलकर्ता की प्रथम अपील होने के कारण उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर भी कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी को इसके लिए सचेत किया है तथा उन्हें भी निर्देशित किया जाता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रथम अपीलों की प्राप्ति तथा उनके निस्तारण की समुचित व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

9. लोक सूचना अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड, तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड शासन, देहरादून को दिये गये उपरोक्त निर्देशों के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को निर्गत हो.

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

22/12/14

22.12.2014

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून

पंजीकृत

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष:0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक :15378/(अपील संख्या : A(HR) – 16169/2014/

दिनांक : 31.12.2014

1. लोक सूचना अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला हरिद्वार।
2. लोक सूचना अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

अपील संख्या : **A(HR) – 16169/2014 : श्री भगवती प्रसाद गोयल** बनाम **लोक सूचना अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी**, जिला **हरिद्वार** व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 22/12/2014 के आदेश की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि।

31/12/14
सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :
अपीलकर्ता : श्री भगवती प्रसाद गोयल, वरिष्ठ पत्रकार, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास कालोनी, हरिद्वार।
संलग्न : यथोपरि।

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : **16169 / 2014**

अपीलकर्ता : श्री भगवती प्रसाद गोयल वरिष्ठ पत्रकार, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास कालोनी हरिद्वार, उत्तरखण्ड।

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड़।
2. लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय,उत्तराखण्ड़, देहरादून।
3. प्रथम अपीलीय अधिकारी / संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड शासन, देहरादून।

आदेश

यह अपील श्री भगवती प्रसाद गोयल के द्वारा लोक सूचना अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के विरूद्ध की गयी है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि उनके अनुरोध पत्र दिनांक 16.04.2014 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी है। ।

2. **अपील पर सुनवाई हेतु आयोग द्वारा दिनांक 24.11.2014 को उभय पक्षों को नोटिस प्रेषित किया गया था। अपीलकर्ता के द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 16.04.2014 के माध्यम से** लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड से 4 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी, जो उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकरी को संबोधित शिकायती पत्र (डाक रसीद संख्या EU 347850927 IN दिनांक 28.01.2012) पर की गयी कार्यवाही के संबंध में है। लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इस पर कोई सूचना नहीं दी गयी है, जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.06.2014 को विभागीय अपीलीय अधिकारी / संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय, देहरादून को प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी।

3. **आयोग के द्वारा लोक सूचना अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को नोटिस** प्रेषित किया गया, जबकि अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी,कार्यालय, देहरादून को प्रेषित किया गया था। लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड द्वारा उक्त अनुरोध पत्र को लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित नहीं किया गया और न ही सूचना अपने स्तर से दी गयी। अतः सुनवाई की तिथि दिनांक 03.12.2014 को आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को अपील में पक्षकार बनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही की जाए तथा अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति की जाए।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

4. आयोग द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 10 दिन का समय देते हुए निर्देशित किया गया कि डाक विभाग से यह ज्ञात करायें कि क्या अपीलकर्ता के द्वारा प्रेषित प्रथम अपील दिनांक 02.06.2014 उनके कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त की गयी थी अथवा नहीं तथा यदि अपील उनके कार्यालय में प्राप्त की गयी हो तो दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही कर आयोग के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।

5. आज सुनवाई के समय अपीलकर्ता उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तु दास उपस्थित हैं, उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि अपीलकर्ता श्री भगवती प्रसाद गोयल, द्वारा अपना शिकायती पत्र दिनांक 27 जनवरी 2014 जिसे उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से अन्य संलग्नकों सहित माह जून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, को कार्यालय पत्र संख्या – 1274 दिनांक 20 जून, 2014 के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित किया गया । त्रुटिवश इसी संदर्भित पत्र के साथ श्री भगवती प्रसाद गोयल का सूचना अधिकार संम्बन्धी प्रार्थना पत्र भी संलग्न कर जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार को प्रेषित किया गया जिसकी पुष्टि दिनांक 03.12.2014 को आयोग में उक्त अपील की सुनवाई के दौरान उपस्थित सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी की गयी ।

6. आयोग के द्वारा उपरोक्त पत्र जो प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से प्रेषित किया गया है का अवलोकन किया गया है। उक्त पत्र में ***"संलग्न यथोपरि"*** अंकित है तथा श्री भगवती प्रसाद गोयल, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता , शिव निवास विकास कालोनी, हरिद्वार पर दिनांक 27.01.2014 के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है परंतु उसके साथ लोक सूचना अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को श्री भगवती प्रसाद द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र दिनांक 16.04.2014 को भी संलग्न कर प्रेषित किया गया है। इस प्रकार अनुभाग अधिकारी श्री मस्तु दास जो कि लोक सूचना अधिकारी भी हैं के द्वारा लापरवाही के साथ अनुरोध पत्र को भी शिकायती पत्र के साथ प्रेषित कर दिया गया है, जो कि नितांत ही आपत्ति जनक है तथा उनका इस संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। अतः श्री मस्तु दास, लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए गये कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.12.2014 की पुष्टि की जाती है तथा उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शास्ति की धनराशि को मस्तु दास के आगामी 2 माहों के वेतन से 2 समान किस्तों में वसूल कर धनराशि को सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड के राजस्व खाते, में जमा करायें तथा प्रत्येक माह आयोग को अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति कोषाधिकारी, देहरादून को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

7. आयोग के द्वारा अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत श्री मस्तु दास अनुभाग अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति नहीं की जा रही है परंतु उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किये जाने वाले उनके कार्यों में इस प्रकार शिथिलता, लापरवाही तथा अनियमितता भविष्य में बरती जाने पर उनके विरूद्ध आयोग को विभागीय कार्य करने की संस्तुति करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

8. विभागीय अपीलीय अधिकारी श्रीमती सौजन्या, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 22.12.2014 आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि अपीलकर्ता के द्वारा रजिस्ट्री पत्र संख्या RV 590012158 IN के द्वारा अपील प्रस्तुत किया जाना बताया गया है, जबकि 17 दिसंबर 2014 के माध्यम से उक्त के स्थान पर रजिस्ट्री पत्र संख्या RV 590011158 IN हो सकता है। रजिस्ट्री

संख्या में त्रुटि होने के बावजूद यह पत्र यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय में डाक विभाग के द्वारा प्राप्त कराया गया है, तो वह अपीलकर्ता की प्रथम अपील होने के कारण उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर भी कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी को इसके लिए सचेत किया है तथा उन्हें भी निर्देशित किया जाता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रथम अपीलों की प्राप्ति तथा उनके निस्तारण की समुचित व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

9. लोक सूचना अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड़, तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड शासन, देहरादून को दिये गये उपरोक्त निर्देशों के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को निर्गत हो.

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

22/12/14

22.12.2014

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

सलंग्नक 5

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1815 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
प्रबन्धक ट्रस्टी,
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट,
सुभाश घाट, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दुवार सूचनायें निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैं:–

1. बिन्दु संख्या 01 एवं 05 में मांगी गयी सूचना के बारे में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों संबंधित पत्र संख्या 4/2014/SDR-Vol.-I दिनाक 26 अप्रैल, 2014 की प्रति एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 क के उद्धरणों की प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. बिन्दु संख्या 02, 03 एवं 04 के क्रम में आपके शिकायती पत्रों को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित की गयी है जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाश रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कश्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित पत्र के क्रम में की गयी कार्यवाही से अपीलकर्ता एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कश्ट करें।

हस्ताक्षरित
रमेशचन्द्र शर्मा

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सलग्नक 4

कार्यालय अपीलीय अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 07 / 2014

अपीलकर्ताः– श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार।

बनाम

उत्तरदाताः– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

श्री रमेश चन्द्र शर्मा उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2014, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गयी।

2- आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें आवेदक को उपलब्ध न होने पर आवेदक श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा प्रथम अपील दिनांक 31/10/2014 को प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुये हैं। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को तत्काल वांछित सूचनाएं उपलब्ध करायी जाय, यदि उक्त सूचना से सन्तुष्ट न हो तो अपीलकर्ता किसी भी कार्यालय दिवस एवं समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(सौजन्या)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी /
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या- 1811 XXV-12/2008 (P2), दिनांक 06 ~~सितम्बर~~ दिसम्बर, 2014।

प्रतिलिपि :- 1. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार।

2. लोक सूचना अधिकारी, को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सौजन्या)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

सत्यापित
रमेशचन्द्रशर्मा

प्रतिलिपि 3

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1767/XXV–12/2008 देहरादून : दिनांक 24 नवम्बर, 2014

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
प्रबन्धक ट्रस्टी,
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट,
सुभाष घाट, हरिद्वार।

विषयः– **<u>सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।</u>**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर स्थिति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीया,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

सत्यापित

संलग्नक 2

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

सेवामें,

विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

दिनांक : 31 अक्तूबर, 2014

विषय : लोक सूचनाधिकारी के स्तर से सूचना उपलब्ध न करवाए जाने/सूचना आवेदन का कोई उत्तर न दिए जाने पर प्रथम अपील

महोदया,

अपीलार्थी द्वारा आपके कार्यालय के लोक सूचनाधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सम्बोधित प्रार्थना पत्र, जो दिनांक 30 सितम्बर, 2014(आपके त्वरित संदर्भ हेतु प्रति संलग्न), को आपके कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से पावती सहित प्रस्तुत किया गया था, के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा 5 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गई थी, किन्तु इस हेतु नियत समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त आज की तिथि तक अपीलार्थी को आपके विभागीय लोक सूचना अधिकारी के स्तर से कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम का घोर उल्लंघन है।

उक्त के आलोक में आपसे निवेदन है कि प्रार्थी की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए संलग्न प्रार्थना पत्र में उल्लिखित पांचों बिन्दुओं पर व्यापक जनहित में वांछित सूचना अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों सहित उपलब्ध करवाए जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने की महति कृपा करें, साथ ही विभागीय लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई संज्ञान न लिए जाने के विषय में भी आपके स्तर पर उपयुक्त कार्रवाई करने की महती कृपा करें।

इस संदर्भ में अवगत करवाना है कि सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थी द्वारा नियत शुल्क की धनराशि भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 29 एफ 925646 के माध्यम से 'लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड के पक्ष में अदा की गई है।

अपीलार्थी,

रमेश चन्द्र शर्मा
01/11/14
(रमेश चन्द्र शर्मा)
प्रबन्धक ट्रस्टी
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट
सुभाष घाट, हरिद्वार
rec 10/11/14

संलग्नक : सूचना आवेदन की प्रति

अपर सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी * उत्तराखण्ड

सत्यापित
रमेश चन्द्र शर्मा

परिशिष्ट 1

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

दिनांक : 30 सितम्बर, 2014

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न वांछित सूचनायें अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित उपलब्ध करवाने की कृपा करें :-

1. लोकसभा चुनाव 2014 में नामांकन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में मिथ्या सूचनाएं दर्शाने और जानबूझकर सम्पत्ति इत्यादि संबन्धी कई तथ्यात्मक सूचनाओं की घोषणा न करने वाले भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', जिसकी लिखित शिकायत संबन्धित रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, का संज्ञान लेकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125क के तहत प्राथमिकी/आपराधिक मामला दर्ज करवाने का उत्तरदायित्व **(Prime Responsibility)** संबन्धित रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा भारत निर्वाचन आयोग में से किसका है, इस विषयक अपेक्षित सूचना तत्संबन्धी अद्यतन दिशा–निर्देशों की प्रति सहित उपलब्ध करवाएं।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सम्बोधित मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2014, जिसमें 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के निर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा नामांकन प्रपत्रों के साथ दिनांक 17 अप्रैल, 2014 को दाखिल शपथ पत्र में कई मिथ्या सूचनाएं दिए जाने के सम्बन्ध में बिन्दुवार विस्तृत जानकारी दी गई थी व जो कि दिनांक 02 मई, 2014 को आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, में उल्लिखित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए आपके कार्यालय के स्तर से प्रश्नगत विषय में कृत कार्रवाई से अवगत करवाएं।
3. उक्त प्रत्याशी द्वारा नामांकन प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत मिथ्या 'अदेय प्रमाण पत्र' **(False NO DUES CERTIFICATE)** के विषयक आपके कार्यालय को प्रस्तुत मेरी शिकायत पर आपके कार्यालय के स्तर से कृत कार्रवाई के सम्बन्ध में भी सूचना उपलब्ध करवाएं ।
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सम्बोधित मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक 08 मई, 2014, जिसमें 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के निर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' का नाम पौड़ी व देहरादून, दो स्थानों की निर्वाचक नामावलियों में अंकित होने व 07 मई, 2014 को सम्पन्न चुनाव में उक्त दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों से उनको मतदान हेतु मतदाता पर्ची **(Voter Slip)** जारी किए जाने सम्बन्धी शिकायत की गई थी, साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रार्थी की आपत्तियों को निस्तारित किए बिना पक्षपातपूर्ण व एकतरफा निर्णय के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई थी, व संबन्धित शिकायती पत्र दिनांक 09 मई, 2014 को आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, में

सत्यापित
[signature]

उल्लिखित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए आपके कार्यालय के स्तर से प्रश्नगत विषय में कृत कार्रवाई से अवगत करवाएं।

5. नामांकन प्रपत्रों के साथ मिथ्या अदेय प्रमाण पत्र व मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्याशी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 क के अंतर्गत आपराधिक मामला पंजीकृत करवाने हेतु निर्वाचक नियमावली के अनुसार नियत समयावधि/समय सीमा के विषयक भी सूचना उपलब्ध करवाएं।

उक्तापेक्षित बिन्दुवार सूचना प्राप्ति हेतु नियत शुल्क की धनराशि का आपके पक्ष में देय भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 29एफ 925646 संलग्न हैं।

निवेदक,

(रमेश चन्द्र शर्मा) 30-9-14
प्रबन्धक ट्रस्टी
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट
सुभाष घाट, हरिद्वार

संलग्न : पोस्टल ऑर्डर क्रमांक : 29एफ 925646

प्रमाणित

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या–1758 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 11 नवम्बर, 2014

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को मा0 आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 की सुनवाई के दौरान मा0 आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में आख्या निम्न प्रकार हैः–

1. अपीलकर्ता श्री हर्ष रतूड़ी का शिकायती पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2014 की प्रति इस कार्यालय के पत्र संख्या 1515 दिनांक 05 अगस्त, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को एवं शिकायती पत्र दिनांक 28 अगस्त, 2014 की प्रति इस कार्यालय के पत्र संख्या 1581 दिनांक 08 सितम्बर, 2014 के साथ संलग्न कर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं देहरादून को प्रकरण पर तत्काल नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी थी और उक्त दोनों पत्रों की प्रतियां अपीलकर्ता को भी उनके आवेदन पत्रों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित की गयी थी।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा अपीलकर्ता के आवेदन पत्र दिनांक 28 अगस्त, 2014 की प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप जिलाधिकारी, पौड़ी/थलीसैंण को नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर इस कार्यालय के साथ–साथ अपीलकर्ता को भी सूचनार्थ पृष्ठांकित की गयी थी।
3. अपीलकर्ता का सूचना अधिकार से संबंधित पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2014 इस कार्यालय को सीधे न प्राप्त होकर मा0 सूचना आयोग के पत्र संख्या 13132 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के साथ प्राप्त होने पर इस कार्यालय के संज्ञान में आया है।
4. मा0 आयोग के संज्ञान में लाना है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना अधिकार संबंधी मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2014 एवं प्रथम अपील से संबंधित प्रार्थना पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2014 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये जिस कारण प्रार्थी के सूचना के अधिकार से संबंधित पत्रों पर समुचित कार्यवाही नहीं की जा सकी। मा0 आयोग के संज्ञान में यह तथ्य लाना भी उचित प्रतीत हो रहा है कि यदि सूचना अधिकार से संबंधित आवेदन पत्र सीधे इस कार्यालय में प्राप्त होते तो निश्चित रूप से समय पर समुचित कार्यवाही करते हुये उन्हें वांछित सूचनायें उपलब्ध करा दी जाती।
5. सूचना अधिकार संबंधी उक्त प्रार्थना पत्र/प्रथम अपील संबंधी प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति के संबंध में कार्यालय में भलीभांति जांच– खोजबीन की गयी किंतु उक्त दोनो प्रार्थना पत्र कार्यालय अभिलेखों के अनुसार प्राप्त नहीं हैं।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या मा0 आयोग के अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 1766 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 22 नवम्बर, 2014

सेवा में,

पोस्ट मास्टर,
जी0पी0ओ0 देहरादून।

विषयः– सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16057/ 2014 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मा0 आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 की सुनवाई के दौरान मा0 आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सूचना अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2014 **स्पीड पोस्ट संख्या EV507799116IN जो दिनांक 11 अगस्त, 2014** को एवं प्रथम अपील की सुनवाई संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2014 **स्पीड पोस्ट संख्या EV521921842IN जो दिनांक 12 सितम्बर, 2014** को कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्ताखण्ड, देहरादून में प्राप्त होना बताया गया है के संबंध में मा0 सूचना आयोग द्वारा उक्त दोनो स्पीड पोस्ट की प्राप्ति रसीद जिसमें प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हैं, की छायाप्रति उपलब्ध कराने निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार प्राप्ति संबंधी अभिलेख की छायाप्रति तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 1797 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मा0 आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 की सुनवाई के दौरान मा0 आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में डाक विभाग द्वारा पत्र प्राप्ती संबंधी अभिलेख दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त कर लिये गये हैं, जो मा0 आयोग के अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत हैं। मा0 आयोग को अवगत कराना है कि डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र प्राप्ती संबंधी अभिलेखों के अनुसार संबंधित कार्मिकों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। (संलग्नक कार्यालय आदेश)

2. अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्तता के दृष्टिगत विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से लोक सूचना अधिकारी मा0 आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा0 सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 1797 / XXV–66(1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा0 सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 1798 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

–:कार्यालय आदेश:–

सूचना के अधिकार संबंधी श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के प्रकरण पर मा0 सूचना आयोग द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में, जिसमें मा0 आयोग द्वारा श्री हर्ष रतूड़ी के सूचना अधिकार एवं प्रथम अपील संबंधी आवेदन पत्र की प्राप्ति श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक एवं श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त करने की पुष्टि डाक विभाग के अभिलेखों से हो चुकी है, किंतु सूचना अधिकार संबंधी अवेदन पत्र को निस्तारण हेतु श्री रावत/श्री नेगी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उक्त आवेदन का समय पर निस्तारण नहीं हो सका।

श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक, एवं श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह 03 दिन के अन्दर अर्थात 05 दिसम्बर, 2014 तक अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सूचना अधिकार संबंधी उक्त आवेदन पत्र को प्राप्त किये जाने के उपरान्त भी किन परिस्थितियों में निस्तारण हेतु लोक सूचना अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया। क्यों न आपके विरूद्ध सूचना अधिकार संबंधी कार्यों में लापरवाही के प्रति कठोर अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 1798 /XXV–66(1–5)/2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपि 1. श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक, श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर देहरादून को अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 में समय–समय पर पारित मा0 सूचना आयोग के आदेशों के अनुपालन सूचनार्थ प्रेषित।
3. लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 1800 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मा0 आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16123/ 2014 की सुनवाई के दौरान मा0 आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में डाक विभाग द्वारा पत्र प्राप्ती संबंधी अभिलेख दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त कर लिये हैं। जो मा0 आयोग के अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत हैं। मा0 आयोग को अवगत कराना है कि डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र प्राप्ती संबंधी अभिलेखों के अनुसार संबंधित कार्मिकों का स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्तानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में लोक सूचना अधिकारी की ओर से अनुपालन आख्या मा0 सूचना आयोग की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी